

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
31/18	251 RTA	निपागिजा	छबड़ा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
मदन लाल		बनाम	अमरजीत

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

19/8
 पकील द्वारा एक अन्तर्गत धारा 251 RTA विरुद्ध अपील किया रिपोर्ट दर्ज करवाया गया। कारण बर्ज रजिस्ट्रार को पेश किया गया। तलब दिनांक 11/8 को पेश हो।

11/8
 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 03/11/18 को पेश हो।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

23/8
 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 20/8/18 को पेश हो।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

20/8
 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24/9/18 को पेश हो।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

पत्रावली पेश हुई। कमील प्रती उपायित। प्रतिवादी भी तलबी हेतु तलबीना प्राप्त हुआ। प्रतिवादी के तलबी शर्त पूरी होकर पत्रावली दिनांक 25/10/19 को पेश हो।

25/19
 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28/3/19 को पेश हो।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

आज पीएमपीन अधिकारी के अन्य कार्य में
 व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में
 दिनांक 20/12/22 को पेश हो।

एल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

20/12/22

पत्रावली पेश हुई। कमील प्रार्थी उपस्थित। मुताबिक
 TDR रिपोर्ट के प्रमाण तहसीलदार इकडा के इस
 मोशय के साथ प्रतिप्राप्ति किया कि प्रमाण पारा 251
 RTA का है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है और
 तहसीलदार क्षेत्र का है। पत्र के साथ प्रमाण तहसीलदार
 इकडा के वास्ते कार्यवाही रास्ता दिखाने हेतु भेजा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)